# राजस्थान सरकार
## ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
## (पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर 0141–2227275, ई–मेल seprd123@gmail.com

क्रमांक एफ. 4 (85) पराविं / पी.सी. / आंगनबाडी / मिशनमोड / 2013–14 / 1134 जयपुर, दिनांकः– 11-5-16

1. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**
2. **अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**

**जिला परिषद समस्त ।**

**विषयः–** आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण के लिए भूमि चयन हेतु जिला परिषद को अधिकार देने बाबत।

**प्रसंगः–** महिला बाल विकास विभाग के परिपत्र 14464 दिनांक 12.2.2016

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो मे विभिन्न योजनान्र्तगत यथा नाबार्ड वित्त पोषित, मिशनमोड, देवनारायण, एमएसडीपी के अंर्तगत आंगनबाडी केन्द्र भवनो का निर्माण किया जा रहा है।

प्रायः देखा गया है कि आंगनबाडी केन्द्र हेतु चयनित भूमि पर पट्टे को लेकर विवाद होता है अथवा भवन की भूमि पर अतिक्रमण आदि कई स्थानीय समस्याओ का भी सामना करना पडता है, जिनका समाधान भी काफी समय तक नही हो पाता है।

ऐसे प्रकरणो मे जिला परिषद द्वारा पुनः स्थान परिवर्तन हेतु अनुरोध किया जाता है, जिससे काफी समय व्यर्थ होता है, एवं कार्य समय पर प्रारम्भ नहीं हो पाते हैं, जिसके फलस्वरुप कार्यो की लागत भी बढ जाती है एवं योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि का भी पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है।

अतः निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग के उक्त प्रासंगिक परिपत्र द्वारा आंगनबाडी भवन निर्माण के समयबद्ध निर्माण कार्य को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत आंगनबाडी भवन निर्माण के लिए चयनित स्थल पर भूमि सम्बंधी अथवा अन्य किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में सम्बंधित परिक्षेत्र मे ही निर्धारित मापदण्डो के अनुसार उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा की गई अभिशंषा के आधार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण के लिए प्रस्तावित / चयनित स्थल के स्थान पर अन्य उपयुक्त भूमि / स्थल का चयन करके स्वीकृति जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। **अतः आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण के लिए प्रस्तावित / चयनित स्थल के स्थान पर अन्य उपयुक्त भूमि / स्थल का चयन करते समय यह ध्यान रखा जावे कि उक्त आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण यथासम्भव उसी ग्राम / ग्राम पंचायत मे हो यदि उसी ग्राम पंचायत मे निर्माण कार्य सम्भव नही है तो उसी पंचायत समिति मे निर्माण कार्य किया जावे।**

आपसे अनुरोध है कि अभी तक स्वीकृत आंगनबाडी भवन मे से स्थान विवाद के कारण अप्रारम्भ कार्यो को उक्त प्रासंगिक पत्र के अनुसार नवीन स्थान चिन्हित करते हुए कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करावें।

उक्त परिपत्र निदेशालय द्वारा पूर्व मे जारी किये गये परिपत्र क्रमांक 51–435 दिनांक 8.2.2016 के अतिक्रमण मे जारी किया गया है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

**भवदीय**

**(मुकेश माहेश्वरी)**
**अधीक्षण अभियन्ता**